कार्यालय

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,पाकुड़

(जिला पंचायत शाखा)

14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायतों के लिए संविदा के आधार पर लेखालिपिक –सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, पाकुड़ (जिला पंचायत शाखा) के कार्यालय में अनुसूचित जनजाति– 14, अनारक्षित– 06, कुल– 20 लेखालिपिक –सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु पाकुड़ जिले के योग्य अभ्यर्थियों से दिनांक 10/01/2018 तक आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

विस्तृत विवरण, नियुक्ति प्रक्रिया, आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया, संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मियों की सेवाशर्त्त, आवेदन का प्रपत्र आदि पाकुड़ जिला का वेबसाईट www.pakur.nic.in पर देखा जा सकता है।

01. आवेदन–पत्र उपायुक्त, पाकुड़ (जिला पंचायत शाखा) के पदनाम से देय होगा।
02. आवेदन–पत्र के साथ सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 500.00 रू0 तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 300.00 रू0 का बैंक ड्राफ्ट, जो उपायुक्त, पाकुड़ के पदनाम से देय होगी एवं पाकुड़ में भुगतेय होगी, संलग्न करना आवश्यक है।
03. मासिक मानदेय 10,000.00 (दस हजार) रू0 प्रतिमाह है।
(5% की दर से मानदेय में बढ़ोतरी होगी)

02. शैक्षणिक योग्यता :–

(i) अनिवार्य योग्यता :– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से न्यूनतम 50% अंको के साथ बी0कॉम0 / बी0एस0सी0 (गणित / सांख्यिकी), बी0ए0 (गणित / सांख्यिकी) अथवा समकक्ष डिग्री। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक में 05 % की छूट रहेगी।

(ii) वांछनीय योग्यता एवं अनुभव :– संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता एवं अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।

03. उम्र सीमा :–

लेखा लिपिक –सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए दिनांक 01.06.2017 को उम्र सीमा निम्नवत् रहेगी :–

(i)	सामान्य वर्ग के लिए	– 35 वर्ष
(ii)	अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए	– 40 वर्ष

04. नियुक्ति की प्रक्रिया :–

(i) जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में उपायुक्त, पाकुड़ के द्वारा संविदा पर नियुक्ति की जायेगी।

(ii) नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव, साक्षात्कार एवं कम्प्यूटर टेस्ट के अंकों के कुल प्राप्तांको पर आधारित होगा।

05. शर्त्त :–

(i) आवेदन–पत्र सीधे जिला पंचायत शाखा, पाकुड़/निबंधित डाक द्वारा उपायुक्त, पाकुड़ (जिला पंचायत शाखा, पाकुड़) के पदनाम से बन्द लिफाफा में दिया जाना है।

(ii) लिफाफा के उपर किस पद किस कोटि के लिए आवेदन दे रहे हैं, का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

(iii) पूर्ण एवं सही–सही भरे गये आवेदन पत्र पर ही अंर्तवीक्षा के लिए विचार किया जायेगा एवं कम्प्यूटर में डाटा इंट्री की जायेगी।

(iv) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या– 14/स्थानीयता नीति 14–01/2015/5938, दिनांक 14.07.2016 के आलोक में केवल पाकुड़ जिले के स्थानीय निवासी ही नियुक्ति के पात्र होंगे।

(v) नियुक्ति को रद्द करने अथवा स्थगित करने का अधिकार उपायुक्त, पाकुड़ को सुरक्षित रहेगा।

(vi) नियुक्ति प्रारंभिक चरण में एक वर्ष के लिए की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

(vii) यदि कोई ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह का परिलब्धि जमा करनी होगी।

उपायुक्त,
पाकुड़।